



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102022-239914
CG-DL-E-28102022-239914

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4835]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944

No. 4835]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2022/KARTIKA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5053(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 (विस्तारित) के कि.मी. 238+940 से 254+370 कि.मी. तक (मुरैना-अम्बाह पोरसा रोड) (मुरैना-बाईपास) अतिरिक्त का निर्माण (चौड़ीकरण/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी मुरैना, जिला मुरैना, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के जिले मुरैना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 (विस्तारित) के कि.मी. 238+940 से 254+370 कि.मी. तक (मुरैना-अम्बाह पोरसा रोड) (मुरैना-बाईपास) अतिरिक्त के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: मुरैना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मुरैना					
गांव का नाम: देवरी					
1	2929	निजी	सिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
गांव का नाम: जीगनी					
1	1213	निजी	सिंचित	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
गांव का नाम: लालौर					
1	1273	सरकारी	चरनोई	0.0590000(हेक्टेयर)	0.0590000
2	1588/1	निजी	सिंचित	0.4430000(हेक्टेयर)	0.4430000
3	1651	सरकारी	चरनोई	0.3040000(हेक्टेयर)	0.3040000
गांव का नाम: मुरैना गाँव					
1	2021	सरकारी	नहर	0.0420000(हेक्टेयर)	0.0420000
कुल				0.8990	0.8990

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/05/2017-18]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2022

S.O. 5053(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway no. NH-552 Extn. in the stretch of land from Km. 238+940 to 254+370 Km. (Morena-Ambah-Porsa-Road) (Morena-Bypass) Additional in the district of Morena in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer MORENA, District MORENA, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from km. 238+940 to 254+370 km. (Morena-Ambah-Porsa Road) (Morena-Bypass) Additional of the Nation Highway no. NH-552 Extn. in the District of Morena in the state of Madhya Pradesh

State: MADHYA PRADESH		District: MORENA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Morena					
Village: Devri					
1	2929	Private	Irrigated	0.0500000(Hectare)	0.0500000
Village: Jigani					
1	1213	Private	Irrigated	0.0010000(Hectare)	0.0010000
Village: Lalor					
1	1273	Government	Charagah	0.0590000(Hectare)	0.0590000
2	1588/1	Private	Irrigated	0.4430000(Hectare)	0.4430000
3	1651	Government	Charagah	0.3040000(Hectare)	0.3040000
Village: Morena Gaon					
1	2021	Government	Canal	0.0420000(Hectare)	0.0420000
Total				0.8990	0.8990

[F. No. CE-RO BPL/30010/05/2017-18]

RAJESH GUPTA, Director